न्यायालय,समाहर्त्ता,अररिया

अधिहरण वाद संख्या-512/2019

अंदर धारा-58 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016

सरकार

बनाम

(1) श्री मो0 दानिश, पिता-मारुफ,
सा0-अररिया बस्ती, भगत टोला, वार्ड नं0-6, थाना+जिला-अररिया

(2) श्री मो0 जाफर, पिता-मो0 जमील,
सा0-बसंतपुर, वार्ड नं0-29, थाना-अररिया

(3) श्रीमती राबिया खातुन, पति-मो0 दानिश, पिता-इकराम
सा0-मैनापुर, थाना-अररिया
जिला-अररिया..विपक्षीगण

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
12.03.2020	इस वाद की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक, अररिया के प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक 3738/हि0शा0, दिनांक 18.12.2019) के आलोक में अररिया (बैरगाछी) थाना कांड संख्या-329/19, दिनांक 27.04.2019, धारा-272/273/34 भा0द0वि0 एवं 30(क) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 में जब्त होण्डा होर्नेट मोटर साईकिल पंजीयन संख्या-BR-38N-4298, चेसीस संख्या-ME4KC23AGH8019549, ईजन संख्या-KC23E8446678 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-58 के अंतर्गत राजसात करने हेतु प्रारम्भ की गई। विपक्षीगणों को कारण-पृच्छा जवाब दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत किया गया। (2) विपक्षी संख्या-03 (वाहन मालिक) राबिया खातुन, पति-मो0 दानिश, सा0-मैनापुर, थाना-अररिया, जिला-अररिया की ओर से दिनांक-16.01.2020 को सी0डब्लू0जे0सी0 सं0-19101/2019 (राबिया खातुन बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश दिनांक-16.12.2019 की सच्ची प्रमाणित प्रति के साथ जब्त वाहन को विमुक्त करने हेतु एक आवेदन तथा दिनांक 28.01.2020 को विपक्षियों की ओर से कारण-पृच्छा दाखिल किया गया है। (3) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया श्री रामानंद मंडल का मुख्य कथन है कि सहायक अवर निरीक्षक, बैरगाछी ओ0पी0, अररिया को दिनांक 27.04.2019 को गश्ती के क्रम में बैरगाछी मोड़ से उत्तर, पटना टेन्ट हाउस के पक्की सड़क जो फरासुत की ओर जाती है, होण्डा होर्नेट मोटर साईकिल पंजीयन संख्या-BR-38N-4298 दिखाई पड़ा, जिसे रुकने का इशारा किया गया। मोटर साईकिल का चालक तेजी से बैरगाछी मोड़ से फरासुत जाने वाली रास्ते मे भागने लगा, जिसे पुलिस बल तथा स्थानीय लोगों के सहयोग से पटना टेन्ट हाउस के पास पक्की सड़क पर मोटर साईकिल सहित विपक्षी संख्या-01 एवं 02 को पकड़ा गया। मोटर साईकिल और विपक्षी संख्या-01 एवं 02 की तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में बरामद मोटर साईकिल पर बंधा लाल-हरा प्लास्टिक का बोरा तथा पीठ की बैग से रॉयल स्टैग 750 एम0एल0 का 32 बोतल, रॉयल चैलेंज 750 एम0एल0 का 04 बोतल एवं ऑफिसर्स च्वाईस 180 एम0एल0 का 40 बोतल कुल मात्रा-34.200 लीटर शराब बरामद हुआ। बरामद शराब एवं मोटर साईकिल को दो स्वतंत्र गवाह 1. मो0 जियाउल्लाह, पे0-स्व0 मो0 यासीन, सा0-फरासुत, वार्ड नं0-03, थाना-बैरगाछी ओ0पी0, जिला-अररिया, 2. दबीर, पे0-स्व0 हनीफ, सा0-फरासुत, वार्ड नं0-03, थाना-बैरगाछी ओ0पी0, जिला-अररिया के समक्ष विधिवत् जब्त किया गया तथा विपक्षी संख्या-01एवं विपक्षी संख्या-02 के विरुद्ध अररिया (बैरगाछी) थाना कांड संख्या-329/19, दिनांक 27.04.2019, धारा-272/273/34 भा0द0वि0 एवं 30(क) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 दर्ज किया गया। जब्त मोटर साईकिल का उपयोग अवैध शराब को ढ़ोने में किया गया है। जब्त मोटर साईकिल राजसात होने योग्य है। उनकी प्रार्थना है कि जब्त मोटर साईकिल को राजसात किया जाय। (4) विपक्षी संख्या-03 (वाहन मालिक) राबिया खातुन के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य कथन है कि विपक्षी संख्या-03 के पति मो0 दानिश (विपक्षी संख्या-01) उक्त मोटर साईकिल को लेकर अपने सम्बन्धी के यहाँ गया था तथा दिनांक 27.04.2019 को लौट रहा था कि पटना टेन्ट हाउस के पास साजिश कर उक्त मोटर साईकिल को सहायक अवर निरीक्षक द्वारा पकड़ लिया गया, जो बिल्कुल बेबुनियाद एवं निराधार है। विपक्षीगण अपने समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति है। कभी भी उक्त आरोप में	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
12.03.2020		

लिप्त नहीं हुआ है। सी0डब्लू0जे0सी0 सं0-19101/2019 (राबिया खातुन बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश दिनांक-16.12.2019 के अनुसार जब्त मोटर साईकिल को विमुक्त किये जाने का निदेश है। जब्त मोटर साईकिल खुले आसमान के नीचे खड़ी है। विपक्षी संख्या-03 पर्याप्त बंध-पत्र देने को तैयार है। उनकी प्रार्थना है कि जब्त मोटर साईकिल को विमुक्त करने हेतु थानाध्यक्ष, अररिया (बैरगाछी) थाना को आदेश दिया जाय।

(5) सी0डब्लू0जे0सी0 सं0-19101/2019 (राबिया खातुन बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश दिनांक-16.12.2019 के मुख्य अंश का अवतरण निम्नलिखत है:-

"Furthermore, it is made clear that if the confication proceeding has already been initiated in respect of the seized vehicle, the concerned District Collector shall conclude the same within sixty days from the date of receipt/production of a copy of this order. Writ petition stands disposed of with the aforesaid directions."

(6) उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के कथनों एवं तर्को पर सम्यक विचार तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक 3738/हि0शा0, दिनांक 18.12.2019) एवं संलग्न कागजातों, विपक्षी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 16.01.2020 एवं कारण-पृच्छा दिनांक 28.01.2020, सी0डब्लू0जे0सी0 सं0-19101/2019 (राबिया खातुन बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश दिनांक-16.12.2019 की सच्ची प्रमाणित प्रति के अवलोकन से अधोहस्ताक्षी को समाधान हो गया है कि अररिया (बैरगाछी) थाना कांड संख्या-329/19, दिनांक 27.04.2019, धारा-272/273/34 भा0द0वि0 एवं 30(क) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 में जब्त मोटर साईकिल पंजीयन संख्या-BR-38N-4298 का उपयोग **रॉयल स्टैग 750 एम0एल0 का 32 बोतल, रॉयल चैलेंज 750 एम0एल0 का 04 बोतल एवं ऑफिसर्स च्वाईस 180 एम0एल0 का 40 बोतल कुल मात्रा-34.200 लीटर अवैध शराब** को ढ़ोने में किया गया है। जब्त मोटर साईकिल को सशर्त्त विमुक्त किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। विपक्षी की ओर से दाखिल जब्त वाहन की विमुक्ति हेतु आवेदन दिनांक 16.01.2020 एवं कारण-पृच्छा दिनांक 28.01.2020 अस्वीकृत होने योग्य है। जब्त मोटर साईकिल बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा-56(ख) के अंतर्गत राजसात होने योग्य है। तद्नुसार विपक्षी संख्या-01 के आवेदन दिनांक 16.01.2020 एवं 28.01.2020 को **अस्वीकृत** किया जाता है तथा कि अररिया (बैरगाछी) थाना कांड संख्या-329/19, दिनांक 27.04.2019, धारा-272/273/34 भा0द0वि0 एवं 30(क) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 **में जब्त होर्नेट मोटर साईकिल पंजीयन संख्या-BR-38N-4298, चेसीस संख्या-ME4KC23AGH8019549, ईंजन संख्या- KC23E8446678 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-58(2) के अंतर्गत राजसात किया जाता है।** अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को निदेश दिया जाता है कि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित अधिनियम, 2018) के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को भेजें तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया को प्रेषित करें।

विपक्षी (वाहन मालिक) यदि चाहें तो उक्त आदेश के विरूद्ध बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-92(2) अंतर्गत उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना के न्यायालय में अपील दाखिल कर सकते हैं।

उक्त आदेश/निदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता, अररिया

समाहर्त्ता, अररिया

ज्ञापांक 1106/विधि, अररिया, दिनांक 14.3.2020.

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को जिला के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

समाहर्त्ता, अररिया